


<p>तारीख हुकम</p>	<p>FORM NO. 11 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अति० निला कलक्टर, दौसा रेफरेंस प्र. सं. 240/2015 सरकार/मंगला</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>7-4-17</p>	<p>राजकीय आखिवक्ता उपस्थित गृह आदेश की पालना में अग्रणी के मातु की हत्या देह तदीक्षण विनामाल पत्रावली दिनांक 12-5-17 को पेश है।</p>	
<p>12-5-17</p>	<p>राजकीय आखिवक्ता उपस्थित अग्रणी के मातु की हत्या देह तदीक्षण विनामाल पत्रावली दिनांक 16-6-17 को पेश है।</p>	
<p>16-6-17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। गृह आदेश की पालना में अग्रणी के मातु की हत्या देह तदीक्षण विनामाल पत्रावली दिनांक 19-7-17 को पेश है।</p>	
<p>19-7-17</p>	<p>राजकीय आखिवक्ता उपस्थित गृह आदेश की पालना में अग्रणी के मातु की हत्या देह तदीक्षण विनामाल पत्रावली दिनांक 11-9-17 को पेश है।</p>	<p>Notice 5758 19-7-17</p>
<p>11-9-17</p>	<p>राजकीय आखिवक्ता उपस्थित गृह आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 25-10-17 को पेश है।</p>	
<p>25-10-17</p>	<p>राजकीय आखिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अखिवा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अग्रणी मंगला पुत्र नारायण बलदेव निवासी भूमि की हत्या हो चुकी है। अति० निला कलक्टर दौसा</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दोसा

रेफरेंस प्रस. 240/2015 अरका 2 V/S मंगला

अज्ञानी के कायम मुकाम की सूचना भी प्रस्तुत
नहीं की गई है। मृत व्यक्ति के रिप्रेजेंटेशन
प्रकरण को चलाये जाने का आदेश नहीं है।
अतः प्रकरण तत्कालीन न्यायालय में
रिमाउंड किया जाकर निदेशित किया जाये कि
मृतक अज्ञानी के कायम मुकाम की जांच कर
संशोधित दस्तावेज एवं आवेदन आवेक जितने
जिन्हें रिप्रेजेंटेशन प्रकरण तैयार किया गया है की
प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान जमावें की सही संबंधित
न्यायालय में रिप्रेजेंटेशन प्रकरण प्रस्तुत किया जाया
जाये।



अति० जिला कलक्टर
दोसा

[Faint handwritten notes and signatures in the lower section of the document.]